प्रेस नोट दिनांक 23.10.2024 जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना लालगंज पुलिस द्वारा लूट की घटना से संबंधित 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18.10.2023 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत गोविन्दपुर के पास में आरोपीगण वादी से मोबाइल फोन छीनकर भाग गये थे

थाना लालगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत नहर पुलिया के पास से 01 वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त वकील उर्फ हकीम के कब्जे से उपरोक्त मुकदमों से संंबंधित 01अवैध तमंचा 315 बोर व 01जिन्दा कारतूस 315 बोर किया गया बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

1. दिनांक 18.10.2023 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत गोविन्दपुर के पास में आरोपीगणों द्वारा वादी से मोबाइल फोन छीनकर भाग जाने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 438/2023 धारा 392/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में*अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, प्रतापगढ़ श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज कुमार यादव के नेत्तृत्व में थाना लालगंज के उ0नि0 विवेक कुमार मय हमराह आरक्षी दिग्विजय सिंह, आरक्षी यतेन्द्र चौधरी द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत नहर पुलिया के पास से दिनांक 23.10.2024 को मु0अ0सं0 438/2023 धारा 392/411 भादवि से संबंधित 01 अभियुक्त, वकील उर्फ हकीम पुत्र मुंशीरजा निवासी ग्राम देल्हूपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त वकील उर्फ हकीम उपरोक्त ने बताया गया कि मैं लूट का कार्य करता हूँ। तमन्चा इसलिए साथ रखता हूँ कि घटने के समय तमन्चा दिखाकर अपनी जान बचा कर वहाँ से भाग जाता हूँ। थाना लालगंज पुलिस मेरी तलाश कर रही है। मैं बाहर भाग गया था। अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अभियुक्त, वकील उर्फ हकीम पुत्र मुंशीरजा निवासी ग्राम देल्हूपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त, वकील उर्फ हकीम पुत्र मुंशीरजा निवासी ग्राम देल्हूपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 70/2023 धारा 392/411 भादवि थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0 18/2024 धारा 392/504/506 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

3- मु0अ0सं0 438/2023 धारा 392/504/506 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

1. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 विवेक कुमार मय हमराह आरक्षी दिग्विजय सिंह, आरक्षी यतेन्द्र चौधरी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

अपहरण कर दुष्कर्म करने व पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र के धमनी मोड़ बहद ग्राम काजीपुर से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 18.10.2024 को वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में अन्तर्गत धारा 87, 137(2) बी0एन0एस0 का अभियोग बनाम 02 नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना लालगंज के प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह कां० विशाल वर्मा, का0 संतोष यादव द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सौरभ सिंह पुत्र संजय सिंह नि0 ग्राम समापुर थाना लालगंज प्रतापगढ़ को दिनांक 23.10.2024 को थानाक्षेत्र लालगंज के धमनी मोड़ बहद ग्राम काजीपुर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त सौरभ सिंह को अन्तर्गत 64(1), 137(2), 87, 351(3) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- सौरभ सिंह पुत्र संजय सिंह नि0 ग्राम समापुर थाना लालगंज प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह कां० विशाल वर्मा, का0 संतोष यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अन्तर्गत धारा 409/201 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

ए0टी0एम0 से वर्चुअल डिस्पेंस के जरिए जनता/ बैंक के धन का गबन करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत डेरवा बाजार से वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़ ।

आरोपी द्वारा वर्चुअल डिस्पेंस के जरिए जनता/ बैंक के धन का गबन करने के प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्त अभिषेक चौहान पुत्र उदयभान चौहान निवासी ग्राम बसोहनी थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत डेरवा बाजार से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण में दिनांक 23.10.20024 को थाना जेठवारा के थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह मय हमराह का० सतीश पाल, का0 अर्पित त्रिपाठी, म0का0 प्रीति, म0का0 अपूर्वा, वा0 चालक हे०का0 अशोक सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना जेठवारा में पंजीकृत अन्तर्गत धारा 409/201 भादवि में वांछित अभियुक्त अभिषेक चौहान पुत्र उदयभान चौहान निवासी ग्राम बसोहनी थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत डेरवा बाजार से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1- अभिषेक चौहान पुत्र उदयभान चौहान निवासी ग्राम बसोहनी थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी ।

पुलिस टीम –

थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह मय हमराह का० सतीश पाल, का0 अर्पित त्रिपाठी, म0का0 प्रीति, म0का0 अपूर्वा, वा0 चालक हे०का0 अशोक सिंह थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा रिमाण्ड पर लिये 01 अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा बरामद।

हत्या का प्रयास, मारपीट/ धमकी देने के अभियोग में जेल में निरुद्ध था अभियुक्त

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोठरा के पुरानी बंद पड़ी ट्यूवेल के पास से किया गया बरामद

लूट की घटना में प्रयुक्त अवैध 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद व 01 अदद मो0 एंड्रायड बरामद।

प्रतापगढ़-

दिनांक 11.09.2024 को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत आरोपीगणों द्वारा वादी से भाई के साथ गाली गलौज, मारपीट, जानलेवा हमला, धमकी व तमंचे से फायर करने आदि आरोपों में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 198/24 धारा 191 (2)/191 (3) /190/352/109/310(2) बीएनएस बनाम 05 नामजद अभियुक्त व 04 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार राय थाना फतनपुर के नेतृत्व में दि0- 23.10.2024 को उ0नि0 प्रभांशु कुमार राय मय हमराह का0 विवेक यादव व कां० आशुतोष तिवारी, चालक कां0 उपेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा आदेशानुसार माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष संख्या 15 जनपद प्रतापगढ़ के वाउम्मीद बरामदगी थाना फतनपुर के मु0अ0सं0 198/2024 बीएनएस में गिरफ्तार अभियुक्त सोनू उपाध्याय उर्फ सौरभ सुत विजय कुमार निवासी रामापुर उपाध्याय का पुरा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ की निशांदेही पर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोठरा के पुरानी बंद पड़ी ट्यूवेल के पास से घटना में प्रयुक्त अवैध 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद व 01 अदद मो0 एंड्रायड बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की धारा 309 (4) B.N.S. को धारा 310 (2) B. N. S. में संशोधित करते हुये धारा 3/25/27 Arms Act. एवं धारा 317(3) BNS की बढ़ोत्तरी की जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त की निशांदेही पर एक पुरानी बंद पड़ी ट्यूवेल के पास पहुंच कर कुछ देर इधर उधर ढूंढता रहा फिर अचानक ईंट के ढेर को हाथ से हटाकर एक काली पन्नी निकालकर दिया। पन्नी को खोलकर देखा गया तो 1 अदद तमंचा देशी 315 बोर बरामद हुआ तमंचा को खोलकर देखा गया तो नाल में फंसा हुआ 01 अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ तथा पन्नी से एक अदद मो0 एंड्रवायड बरामद हुआ। पूछने पर बताया कि साहब यही वह तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है जिसे मै अपने पास घटना वाले दिन लिया था और इसी तमंचे से फायर किया था और यही मोबाइल हम लोग छीने थे। पुलिस के डर से उसी दिन शाम के समय अंधेरे में मैने तमंचा और मो0 यही पर छिपा दिया था और भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- सोनू उपाध्याय उर्फ सौरभ सुत विजय कुमार निवासी रामापुर उपाध्याय का पुरा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त अवैध 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद व 01 अदद मो0 एंड्रायड बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 प्रभांशु कुमार राय मय हमराह का0 विवेक यादव व कां० आशुतोष तिवारी, चालक कां0 उपेन्द्र सिंह गुर्जर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह आरक्षी विकास बाबू द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान केस नं0-429/24 धारा 147 बीएनएसएस थाना कंधई से संबंधित वारण्टी अभियुक्त मो0 मुस्ताक पुत्र रज्जव अली निवासी ग्राम दादूपुर फकरौली थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

मो0 मुस्ताक पुत्र रज्जव अली निवासी ग्राम दादूपुर फकरौली थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह आरक्षी विकास बाबू थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।